निविदा सूचना

रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत म्योरपुर , दुद्धी एवं बभनी विकास खण्डों के वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में वर्ष 2009–10 में कराये जा रहे विषेष वृक्षारोपण अभियान में रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु तारवाड़ (वारवेड वायर फेन्सिंग) के लिए पत्थर खम्भों की आपूर्ति किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी । परन्तु न्यूनतम प्रति पत्थर खम्भा दरें नियमानुसार प्राप्त नही हो सकी । जिसके लिए पुनः दिनांक 30.10. 2009 को अपरान्ह 2.00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कोरियर डाक/दस्ती डाक से शर्तो के अधीन निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जाती है । निविदा के प्रथम भाग के लिफाफे में निविदादाता की निविदा हेतु अर्हता के अभिलेखीय साक्ष्य एवं निविदा के द्वितीय भाग के लिफाफे में निविदा के दर का विवरण रहेगा । प्राप्त निविदाओं के प्रथम भाग का लिफाफा दिनांक 30.10.2009 को समय 4.00 बजे अपरान्ह खोला जायेगा । प्रथम भाग के लिफाफे में जिन निविदादाता की अर्हता अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर उपयुक्त पाई जायेगी। उन्ही निविदादाताओं की निविदा के द्वितीय भाग को दिनांक 31.10.2009 को समय 4.00 बजे अपरान्ह खोली जायेगी । प्राप्त निविदायें अधोहस्ताक्षरी अथवा मनोनीत अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि को खोली जायेगी । निविदा खोलते समय निविदा द्वारा उपस्थित रह सकते है । निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट से रू0 20.00 मात्र देकर कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है ।

निविदा के सम्बन्ध में शर्तेः–

1. निविदा दो भागों में अलग–अलग मुहरबन्द लिफाफों में प्राप्त की जायेगी । जिसके उपर स्पष्ट लिखा होना चाहिए प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग ।
2. निविदा अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से होनी चाहिए तथा लिफाफे के ऊपर निविदा वास्ते पत्थर खम्भा अवष्य लिखा होना चाहिए तथा इस कार्यालय में दिनांक 30.10. 2009 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए ।
3. निविदा स्वीकृत कराने की कार्यवाही तभी की जायेगी जब जिला ग्राम्य विकास अभिकरण , सोनभद्र द्वारा इस हेतु प्रेषित परियोजना की धनराषि स्वीकृत कर अवमुक्त कर दी जायेगी ।
4. सम्बन्धित निविदादाता को निविदा अनुमोदित होने पर स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा और इसके साथ शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा इंगित धनराषि प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी । निविदा के साथ दी गई अर्नेस्टमनी प्रतिभूति के साथ समायोजित की जायेगी ।
5. पत्थर खम्भों की कुल एवं रेंजवार संख्या घट–बढ़ सकती है ।
6. रेनुकूट वन प्रभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारियों से आपूर्ति सन्तोष जनक प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा ।
7. निविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद का निस्तारण जनपद, सोनभद्र के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

8. पत्थर खम्भों की आपूर्ति करने के उपरान्त रेनुकूट वन प्रभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों से पत्थर खम्भों की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर प्रभागीय कार्यालय रेनुकूट वन प्रभाग में अनिवार्य रूप से दिया जायेगा ।
9. निविदादाता को आपूर्ति से सम्बन्धित समस्त करों एवं शुल्कों की देयता नियमानुसार पूर्ण करनी होगी । करों एवं शुल्कों की देयता की पूर्ति यदि नियमानुसार निविदादाता द्वारा नहीं की जाती है तो करों एवं शुल्कों का भुगतान से काटकर नियमानुसार पूर्ति की जायेगी ।
10. खम्भों का ढुलान इस कार्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में आरक्षित वन क्षेत्र के म्योरपुर, पिपरी, अनपरा, जरहा, बभनी, बघाड़ू, विण्ढ़मगंज एवं दुद्धी रेंज के कार्यालय परिसर तक करना होगा तथा अनलोडिंग कर चट्टा बंदी सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर करनी होगी ।
11. पत्थर खम्भों की आपूर्ति का आदेष निर्गत होने के एक माह के अन्दर आपूर्ति लगातार पूर्ण करनी होगी ।
12. पत्थर खम्भों की लोडिंग तथा अनलोडिंग एवं चट्टा बंदी सावधानी पूर्वक करना होगा। खम्भों की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में निविदादाता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।
13. अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा कि वे निविदा को किसी समय निरस्त कर सकते है ।

(क) प्रथम भाग के लिफाफे (अभिलेखीय निविदा) हेतु अभिलेख एवं निर्देष :–

1. निविदा के साथ रू0 50000.00 (रू0 पच्चास हजार मात्र) का अर्नेस्टमनी/काल डिपाजिट/एन0एस0सी0/बैंक गारण्टी जो रेनुकूट/रावर्ट्सगंज में स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर पर अधोहस्ताक्षरी के पदनाम पर बंधक हो या देय हो संलग्न करना अनिवार्य है । बिना अर्नेस्टमनी के निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।
2. निविदादाता संलग्नकः–1 में दिये गये पत्थर खम्भों की साइज एवं संख्या में निर्दिष्ट स्थलों पर आपूर्ति हेतु स्वयं का हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
3. निविदादाता के पास पत्थर के खम्भों का व्यवसाय करने की समस्त नियम संगत एवं वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण होने के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ।
4. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा उसके पक्ष में आयकर विभाग, व्यापार कर विभाग सम्बन्धित जिले के जिला मस्ट्रिेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
5. निविदादाता के यदि कोई भागीदार हो तो भागीदारी के प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
6. संलग्न प्रपत्र (संलग्नक–2) में नाम, स्थायी पता , पत्राचार का पता तथा अन्य सूचनाऐं भरकर प्रस्तुत करना होगा ।
7. व्यापार कर पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।
8. आयकर का अद्यावधिक रिटर्न, पैन कार्ड तथा आयकर के क्लीयरेन्स के प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा ।

9. निविदा के साथ निविदादाता को जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र एवं जिला मस्ट्रिेट द्वारा प्रदत्त प्रस्तावित कार्य करने का आर्थिक क्षमता एवं पूर्व एवं प्रचलित संतोषजनक गतिविधियों सम्बन्धी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना होगा । उक्त प्रमाण–पत्र सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी द्वारा अपने स्वंय के हस्ताक्षर से जारी किये जाने पर ही मान्य होंगें ।
10. निविदाओं के प्रथम लिफाफें निर्धारित तिथि दिनांक 30.10.2009 को 4.00 बजे सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा जिसमें निविदादाता भी उपस्थित रह सकते है ।
11. निविदादाता को निविदा दे दिये जाने के बाद भी यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध एवं निविदा निरस्त कर दिया जायेगा ।

(ख) द्वितीय भाग के लिफाफे (दर की निविदा) हेतु अभिलेख एवं निर्देष :–

1. निविदादाता का द्वितीय भाग का लिफाफा तभी खुलेगा जब प्रथम भाग के लिफाफे में प्रस्तुत समस्त अभिलेखीय साक्ष्य निविदा हेतु उपयुक्त पाये जायेगें ।
2. यदि जिस निविदादाता द्वारा अर्नेस्टमनी एवं प्रथम भाग की निविदा में अभिलेखीय साक्ष्य उपयुक्त नही पाये जाते है तो द्वितीय भाग का लिफाफा (दर निविदा) नही खोला जायेगा ।
3. निविदाओं के द्वितीय लिफाफें निर्धारित तिथि दिनांक 31.10.2009 को 4.00 बजे सार्वजनिक रूप से खोला जायेगा जिसमें निविदादाता भी उपस्थित रह सकते है ।
4. संलग्न निविदा प्रपत्र (संलग्नक–3) में दर भरकर प्रस्तुत करना होगा ।
5. प्रस्तुत दर में शुल्क एवं कर आदि का विवरण भी देना होगा ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट (सोनभद्र) ।
पत्रांक /रेनुकूट/ दिनांक, रेनुकूट, जुलाई ,2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0,लखनऊ ।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ ।
3 मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर क्षेत्र, उ0प्र0, मिर्जापुर ।
4. मुख्य वन संरक्षक, प्रसार एवं जन सम्पर्क, उ0प्र0 लखनऊ को इस आषय से प्रेषित कि उक्त निविदा की संलग्न सीडी से निविदा की सूचना वन विभाग की वेब–साईट पर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।
5. जिलाधिकारी, सोनभद्र ।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी , मिर्जापुर क्षेत्र ।
7. निदेषक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेष, लखनऊ को इस आषय से प्रेषित कि उक्त निविदा की संलग्न सीडी से निविदा की सूचना उत्तर प्रदेष सरकार की बेव–साइट पर उपलब्ध कराते हुए निविदा का बृहद प्रचार–प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाषित कराने की कृपा करें ।

8. जिला सूचना अधिकारी ,सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा की संलग्न सीडी से निविदा की सूचना सरकारी वेब–साईट पर उपलब्ध कराते हुए निविदा का वृहद प्रचार अपने स्तर से कराने की कृपा करें ।
9. उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी/म्योरपुर , रेनुकूट वन प्रभाग ।
10. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी , रेनुकूट वन प्रभाग ।
11. समस्त ट्रांसपोर्टर जनपद–सोनभद्र ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

(आशीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संलग्नक–2

प्रथम भाग के साथ जमा किया किया सुनिष्चित करें ।

फर्म का नाम..

मालिक एवं भागीदारों के नाम..

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	पता	दूरभाष नम्बर
1				
2				
3				
4				

1. स्थाई पताः–
   - (क) मकान संख्या...
   - (ख) ग्राम /मुहल्ला..
   - (ग) डाकघर..
   - (घ) जिला..
   - (ड0) पिन कोड संख्या.................................
   - (च) दूरभाष नम्बर......................................
2. पत्राचार हेतु पताः–
   - (क) मकान संख्या...
   - (ख) ग्राम /मुहल्ला..
   - (ग) डाकघर..
   - (घ) जिला..
   - (ड0) पिन कोड संख्या.................................
   - (च) दूरभाष नम्बर......................................

कम्पनी/फर्म की स्थिति में प्रोपराइटरी प्रमाण–पत्र/पार्टनर षिप डीड/पत्थर खदान होने का प्रमाण–पत्र जमा करना आवष्यक होगा ।

संलग्नकः–निविदा की शर्तो के अनुसार अर्हता हेतु अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ।

(1)
(2)
(3)
(4)

निविदादाता का हस्ताक्षर

संलग्नक–1

प्रथम भाग के साथ जमा किया जाना सुनिष्चित करें ।

पत्थर खम्भों की साइज एवं आपूर्ति का विवरण

फर्म का नाम ....

<table>
<tr><th>पत्थर खम्भों की साइज</th><th>पत्थर खम्भों की संख्या</th><th colspan="2">कार्य का विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="5">लम्बाई 165 से.मी. , आधार एवं शीर्ष की लम्बाई 15 से.मी. एवं चौड़ाई 10 से.मी. ।
पिलर को जमीन के अन्दर 30 से.मी. गाड़ने के बाद जमीन की सतह से कट के निषान–
प्रथम कट –जमीन की सतह से 15 से0मी0 पर
द्वितीय कट –जमीन की सतह से 35 से. मी. पर
तृतीय कट – जमीन की सतह से 60 से. मी. पर
चतुर्थ कट – जमीन की सतह से 90 से. मी.पर</td><td rowspan="5">77700 (खम्भों की संख्या में आवष्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है)</td><td colspan="2">1– समस्त पत्थर खम्भों की आपूर्ति जनपद सोनभद्र के म्योरपुर, दुद्धी एवं बभनी विकासखण्ड के वन क्षेत्रों के रेंज कार्यालय परिसर पर किया जायेगा ।</td></tr>
<tr><td>रेंज का नाम</td><td>पत्थर खम्भों की संख्या</td></tr>
<tr><td>अनपरा
पिपरी
म्योरपुर
जरहा
बभनी
बघाडू
दुद्धी
विण्ढ़मगंज</td><td>7743
10677
11377
6009
11924
7700
8344
13926</td></tr>
<tr><td>योग–</td><td>77700</td></tr>
<tr><td colspan="2">2– निविदा में पत्थर के खम्भों की दर प्रति खम्भा ढुलान (लोडिंग एवं अनलोडिंग) सहित दर्षायी जाय।</td></tr>
</table>

उपरोक्त साइज एवं संख्या में तथा निर्दिष्ट स्थानों पर पत्थर की आपूर्ति निविदा की शर्तो के अनुसार मेरे द्वारा की जायेगी।

निविदादाता का हस्ताक्षर
दिनांक............................
रबर मुहर.......................

द्वितीय भाग के साथ जमा किया जाना सुनिष्चित करें ।

मूल्य रू0 20.00

<u>निविदा प्रपत्र</u>

रेनुकूट वन प्रभाग की विभिन्न वन रेंजो तक पत्थर खम्भों की आपूर्ति हेतु निविदा ।

1. निविदा दाता/फर्म का नाम–

2. निविदा दाता /फर्म का पूर्ण पताः–

3. अरनेस्ट मनी/काल डिपाजिट का विवरणः–

4. निविदा की दर में सभी प्रकार के शुल्क एवं कर सम्मिलित करते हुए दर्षायी जाय तथा उसका विवरण भी दिया जाय ।

5. पत्थर खम्भों की दर

स्थल का नाम जहॉ पत्थर खम्भों की आपूर्ति की जानी है	प्रति पत्थर खम्भों की दर ढुलान (लोडिंग,अनलोडिंग एवं चट्टाबंदी सहित) रू0
पिपरी, अनपरा, जरहा, बभनी, म्योरपुर, बघाड़ू, दुद्धी व विण्ढ़मगंज	

संलग्नकः–

निविदा दाता का हस्ताक्षर
पूर्ण पता

निविदा सूचना

रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत म्योरपुर , दुद्धी एवं बभनी विकास खण्डों के वन क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में वर्ष 2009–10 में कराये जा रहे विषेष वृक्षारोपण अभियान में रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु तारवाड़ (वारवेड वायर फेन्सिंग) के लिए पत्थर खम्भों की आपूर्ति किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी । परन्तु न्यूनतम प्रति पत्थर खम्भा दरें नियमानुसार प्राप्त नही हो सकी । अतः पुनः दिनांक 30.10.2009 को अपरान्ह 2.00 बजे तक निविदायें दो भाग में पंजीकृत डाक, कोरियर, दस्ती डाक से आमत्रित की जाती है। प्रथम भाग जो कि निविदादाता की अर्हता से सम्बन्धित होगा दिनांक 30.10.2009 को समय 4.00 बजे अपरान्ह द्वारा खोला जायेगा । अर्ह निविदादाताओं की निविदा का द्वितीय भाग अर्थात् निविदा की दर दिनांक 31.10.2009 को समय 4.00 बजे अपरान्ह खोली जायेगी । प्राप्त निविदायें अधोहस्ताक्षरी अथवा मनोनीत अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्धारित तिथि को खोली जायेगी । निविदा खोलते समय निविदा द्वारा उपस्थित रह सकते है । निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट से रू0 20.00 मात्र देकर कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है ।

आषीष तिवारी
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र ।
पत्रांक /रेनुकूट/ दिनांक,रेनुकूट, ,2009
सेवा में,

निदेषक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेष, लखनऊ ।

विषयः– विन्ध्य क्षेत्र में विषेष वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत रेनुकूट वन प्रभाग में किये गये वृक्षारोपण स्थलों के चारों ओर तारवाड़ी हेतु पत्थर खम्भों की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना समाचार पत्रों एवं उत्तर प्रदेष के बेव–साइट में प्रकाषित करने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेष, शासन का पत्रांक–562/उन्नीस–2–2007–1007/74 (टी0सी0) दिनांक 04.07.2007

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेष जो आपको सम्बोधित है, के अनुपालन में अवगत कराना है कि विन्ध्य क्षेत्र में विषेष वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेष के पत्रांक–271/पी0ए0/सी0आर0डी0/09 दिनांक 10.6.2009 के निर्देषानुसार वृक्षारोपण स्थलों की घेरवाड़ बारवेड वायर द्वारा किया जाना है । जिसके लिए पत्थर खम्भों की आपूर्ति किया जाना है । उक्त पत्थर खम्भों की आपूर्ति के लिए निविदा सूचना प्रकाषित की जानी है । कृपया दिनांक 09.10.2009 को नियमानुसार तीन दैनिक समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाषित कराने की कृपा करें । समाचार पत्रों के प्रकाषनार्थ निविदा सूचना का संक्षिप्त आलेख चार प्रतियों में संलग्न है **(संलग्नक–अ)** ।

इसके अतिरिक्त उक्त निविदा की विस्तृत सूचना उत्तर प्रदेष की सरकारी बेव–साइट पर भी प्रदर्षित करने की कृपा करें । सुलभ संदर्भ हेतु निविदा सूचना की सी0डी0 एवं हार्ड कापी भी दो प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है **(संलग्नक–ब)** ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आषीष तिवारी)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट